राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 08 सन 2018

अनवान :–

1. शंकरलाल पुत्र मामचंद जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र सरदारा जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मु0सन्तरों 2 राजेन्द्र 3 शिशपाल पि0 पुत्र/पुत्रिया सावित्री पुत्री सरदारा जाति मेधवाल साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. इन्द्रावती 5 श्रवण कुमार 6 सुरेश कुमार पुत्र/पुत्रीया गुडी पुत्री सरदारा जाति मेधावाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. बृजलाल पुत्र सरदारा जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. विमला 9. मोहरा 10. देवीलाल पुत्र/पुत्रीयान मामचंद जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 18 जेएसएन के खाता संख्य 87/82 की कुल 1.5180हैक , चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 102/98 की कुल 7.0840हैक एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 116/122 की कुल 2.5300हैक भूमि पूर्व में किसना की अर्जित भूमि थी जिनके देहान्त होने पर उसके तीन पुत्रों पर औद हुई सुरजाराम के फोत होने पर उसकी वारिस अनकोरी को प्राप्त हुई जो बेऔलाद फोत होने पर उसके नजदीकी वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण ही है। सरदाराराम एवं उसकी पत्नि फोत हो चुकी है जिसके वारिसान वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी 7 है दो लडकीया थी जो फोत हो चुकी जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जिन्होने अपने हकों का त्याग वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार मामचदं फोत हो गया है जिसके वारीसान वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 जिसमें से प्रतिवादी संख्या 8 ,9 वादी संख्या 1 की बहने है जिन्होने अपने हकों का त्याग कर दिया है इसलिये मामंचद के हिस्से की भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 9 हकदार है इसप्रकार वाद भूमि वादी संख्या 1 ,2 प्रतिवादी संख्या 7 , 9 ,10 हकदार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 7 ,10 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजनीमा पेश किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के पूर्वज किसना के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद उसके पुत्रों सुरजाराम , सरदाराराम, मामंचद हकदार हुई तीनों का एवं उसकी पत्नियों का देहान्त हो चुका है सुरजाराम व उसकी पत्नि के कोई औलाद नही थी एवं सरादाराम के वारिसान वादी सख्या

2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है इसी प्रकार मामचद के वारिसान वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 हुए जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है

वादी के पूर्वज किसना एवं उसके तीनों पुत्रों एवं उनकी पत्नियों एवं सुरजाराम लावल्द फोत होने के कारण वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का ही हक हिस्सा की भूमि हुई एवं वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 ने अपने हकों का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,10 के पक्ष में कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ,10 के पक्ष मे किया हुआ है उसके हक हिस्सा के अनुसार भूमि उनके नाम दर्ज की जाती है तो ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया हुआ है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ,9 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 की कुल ~~1.5840~~ 1.5780 हैक सरदारा मांमचद व अनकोंरी का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा तथा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 102/98 कीकुल 7.0840हैक भूमि में मामचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 10 का 1/2 हिस्सा बहिब व रामेश्वरी पत्नि सरदारा के नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 116/122 की कुल 2.5300हैक मांमचन्द पुत्र किशना का 1/2 हिस्सा कलमजन कर वादी संख्या 1 व 10 का 1/2 हिस्सा बहिब व रामेश्वरी पत्नि सरदारा का नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 बहिब दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–फेफाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. शंकरलाल पुत्र मामचंद जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र सरदारा जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 मु0सन्तरों 2 राजेन्द्र 3 शिशपाल पि0 पुत्र/पुत्रिया सावित्री पुत्री सरदारा जाति मेधवाल साकिन जसाना तहसील नोहर।

4. इन्द्रावती 5 श्रवण कुमार 6 सुरेश कुमार पुत्र/पुत्रीया गुडी पुत्री सरदारा जाति मेधावाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

7. बृजलाल पुत्र सरदारा जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

8. विमला 9. मोहरा 10. देवीलाल पुत्र/पुत्रीयान मामचंद जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 08 सन 2018 निर्णय दिनांक–07.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 जेएसएन के खाता संख्या 87/82 की कुल ~~1.6810~~ 1.5100हैक्ट सरदारा मामचद व अनकोंरी का नाम कलमजन कर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा तथा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 102/98 कीकुल 7.0840हैक्ट भूमि में मामचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 10 का 1/2 हिस्सा बहिब व रामेश्वरी पत्नि सरदारा के नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा बहिब दर्ज किया जावे एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 116/122 की कुल 2.5300हैक्ट मामचन्द पुत्र किशना का 1/2 हिस्सा कलमजन कर वादी संख्या 1 व 10 का 1/2 हिस्सा बहिब व रामेश्वरी पत्नि सरदारा का नाम कलमजन कर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 बहिब दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–फेफाना